



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2016/ आषाढ़ 23, 1938

No. 239]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2016/ASADHA 23, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2016

फा.सं.ओआई-11014/37/2016-ओआईए-II-डीएस भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (इसके बाद से पुरस्कार कहा जाएगा) को शासित करने वाले विनियमों में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करते हैं :-

अधिक्रमण की गई विगत अधिसूचनाओं की सूची

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	1/5/2002- पब्लिक	15.11.2002
2	ओआई-11014/5/2006- डीएस	26.05.2006
3	सं. ओआई-11014/1/2007- डीएस	24.09.2007
4	सं. ओआई-11014/1/2007- डीएस	16.07.2008
5	सं. ओआई- 11014/1/2010- डीएस	06.08.2010
6	सं. ओआई- 11014/1/2010- डीएस	22.02.2012
7	सं. ओआई- 11014/1/2010- डीएस	28.07.2014

I. सामान्य जानकारी

1. इस पुरस्कार का नाम “प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार” होगा।

2. ये पुरस्कार उन अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों अथवा अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों के द्वारा स्थापित संगठन या संस्था को प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने निम्नलिखित में से किसी एक में उल्लेखनीय योगदान किया है :

क. विदेशों में उपलब्धियों के लिए :

- (क) विदेशों में भारत के बारे में बेहतर दृष्टिकोण,
- (ख) भारत के हितों और सरोकारों के प्रति वास्तविक रूप में सहयोग,
- (ग) भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय और उनके निवास के देश के बीच घनिष्ट संबंध बनाना,
- (घ) भारत या विदेशों में सामाजिक और मानवीय सरोकार,
- (ङ) स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण,
- (च) लोकोपकारी और धर्मार्थ कार्य,
- (छ) अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता अथवा उल्लेखनीय कार्य जिससे उस व्यक्ति के निवास के देश में भारत का सम्मान बढ़ा हो, या
- (ज) कौशल में श्रेष्ठता जिससे उस देश में भारत का सम्मान बढ़ा हो (गैर-व्यावसायिक कामगारों के लिए)।

ख. भारत में उपलब्धियों के लिए :

- (क) भारत में परोपकारी निवेशों और धर्मार्थ कार्य,
- (ख) भारत के विकास की ओर दिए गए योगदान के लिए।

3. प्रति वैकल्पिक वर्ष के लिए पुरस्कारों की अधिकतम संख्या तीस (30) होगी।

4. इस पुरस्कार में भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर द्वारा जारी द्विभाषी प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त एक प्रशंसात्मक उल्लेख, एक स्वर्ण पदक और लेपल पिन के रूप में स्वर्ण पदक का एक लघु रूप दिया जाएगा।

5. सनद को 24" x 18" के आकार के हस्तनिर्मित कागज पर छापा जाएगा।

6. स्वर्ण पदक 22 केरट के 60 ग्राम सोने का गोलाकार में बना 2.9 एमएम मोटा और 50.8 एमएम व्यास का होगा। इसके अंदर 30 एमएम के वृत्त के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस का चिन्ह निक्षारित होगा। पदक के सामने की ओर बाहरी वृत्त में मीनाकारी होगी। पीछे की ओर मध्य में राष्ट्रीय चिन्ह के साथ प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के रूप में पुरस्कार का नाम गुदा होगा।

7. स्वर्ण पदक को गर्दन में पहनाया जाएगा जिसके लिए 1 इंच चौड़ा तिरंगा रिबन होगा।

8. स्वर्ण पदक का एक लघु रूप, आयताकार, जिसके मध्य में प्रवासी भारतीय दिवस का चिन्ह गुदा होगा और दोनों ओर मीनाकारी होगी जिसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा कुछेक अवसरों पर पहना जा सकता है, जो 10 ग्राम के वजन के गोल्ड प्लेटेड सिल्वर लेपल पिन पर जड़ा होगा।

11. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार नामांकन के लिए पात्र व्यक्ति या संगठन

9. निम्नलिखित प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन पुरस्कार के लिए सुप्रसिद्ध व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों का नामांकन निर्धारित तारीख और समय के भीतर करने के लिए पात्र होंगे और जैसा निर्धारित किया जाए उस प्रारूप में होगा :

- (क) भारत के राज्यों के राज्यपाल और संघ-शासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल।
- (ख) विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनो के प्रमुख/भारतीय राजनयिक पोस्ट के प्रमुख। मिशन/पोस्ट प्रमुख मान्यता के उनके देश में प्रवासी भारतीयों की आबादी के आकार को ध्यान में रखते हुए नामांकनों को अधिकतम 3 से 5 तक सीमित कर सकते हैं।
- (ग) विदेश मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्य।
- (घ) विदेश मंत्रालय द्वारा निर्णय लिये गए अनुसार राष्ट्रीय स्तर के स्वरूप वाली प्रमुख प्रवासी भारतीय एसोसिएशनों के कार्यकारी अध्यक्ष। हांलाकि, ऐसे संगठन अपने अधिकारियों का नामांकन नहीं करेंगे।
- (ङ) प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के विगत प्राप्तकर्ता।

10. साधारणतया केवल मनोनीत करने के लिए पात्र सक्षम व्यक्तियों से निर्गत प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि, जूरी एवं पुरस्कार समिति, इन विनियमों में उल्लिखित क्षेत्रों से व्यक्तियों हेतु स्वतः भी नामांकन कर सकती है। तथापि, जूरी एवं पुरस्कार समिति द्वारा अपनी ओर से नामित व्यक्तियों की संख्या उस साल के लिए पुरस्कार पाने वालों की कुल संख्या के 6 से अधिक नहीं होगी। ऐसे सभी मामलों में जूरी एवं पुरस्कार समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप में लिया जाएगा।

111. जांच समिति

11. “जूरी-एवं-पुरस्कार समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा गठित अधिकारियों की एक समिति प्राप्त नामांकनों की जांच करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि नामांकन पूर्ण हैं और यह प्रत्येक नामित के बारे में लघु लेख लिखेगी।”

IV जूरी एवं पुरस्कार समिति

12. नामांकनों और लघु लेखों को जूरी-एवं-पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जूरी-एवं-पुरस्कार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क)	भारत के उपराष्ट्रपति	—	अध्यक्ष
(ख)	विदेश मंत्री	—	उपाध्यक्ष
(ग)	प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव	—	सदस्य
(घ)	गृह सचिव	—	सदस्य
(ङ)	विदेश सचिव	—	सदस्य
(च)	प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने वाले पांच सदस्य		
(छ)	विदेश मंत्रालय में प्रवासी भारतीय कार्य संबंधी मामलों को देखने वाले सचिव या अपर सचिव	—	सदस्य

13. जूरी-एवं-पुरस्कार समिति की सिफारिश प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

14. ये पुरस्कार मरणोपरान्त नहीं दिए जाएंगे सिवाय ऐसे बिरले मामलों में जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा से पहले एक वर्ष के दौरान हुई हो।

V. पुरस्कार प्रदान करना

15. ये पुरस्कार यथासंभव प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस पर 09 जनवरी को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

16. ये पुरस्कार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री, इनमें से जो भी उपलब्ध हों, द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

17. जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उनके नाम पुरस्कार दिए जाने वाले दिन से पूर्व दिन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

18. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार स्थापित हो जाने पर अनिवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने के बारे में विचार किया जाता रहेगा और पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए भी पात्र होंगे।

19. पुरस्कार प्राप्तकर्ता के संबंध में बाद में कोई प्रतिकूल जानकारी प्रकाश में आने पर राष्ट्रपति पुरस्कार को रद्द या निष्प्रभावी कर सकते हैं।

वाणी राव, संयुक्त सचिव (प्रवासी भारतीय कार्य-II)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2016

F.No.OI-11014/37/2016-OIA-II.—In supersession of the notifications of the Government of India listed below, the President is pleased to revise the regulations governing the Pravasi Bharatiya Samman Awards (hereafter referred to as the Award), as follows:-

List of previous notifications superseded		
Sl. No.	Number of Notification	Date
1.	1/5/2002-Public	15.11.2002
2.	OI-11014/5/2006-DS	26.05.2006
3.	No.OI-11014/1/2007-DS	24.09.2007
4.	No.OI-11014/1/2007-DS	16.07.2008
5.	No.OI-11014/1/2010-DS	06.08.2010
6.	No.OI-11014/1/2010-DS	22.02.2012
7.	No.OI-11014/1/2010-DS	28.07.2014

I. General Information

1. The Award shall be known as “Pravasi Bharatiya Samman Award”.
2. The Award shall be conferred on a Non-Resident Indian, Person of Indian Origin or an organisation or institution established and run by Non-Resident Indians or Persons of Indian Origin, who has made significant contribution in any one of the following fields:
 - A. For Achievements in Abroad
 - (a) Better understanding abroad of India;
 - (b) Support to India’s causes and concerns in a tangible way;
 - (c) Building closer links between India, the overseas Indian community and their country of residence;
 - (d) Social and humanitarian causes in India or abroad;
 - (e) Welfare of the local Indian community;
 - (f) Philanthropic and charitable work;
 - (g) Eminence in one’s field or outstanding work, which has enhanced India’s prestige in the country of residence; or
 - (h) Eminence in skills which has enhanced India’s prestige in that country (for non-professional workers).
 - B. For Achievements within India:
 - (a) Philanthropic investments and charitable work in India;
 - (b) For contributions made towards India’s Development.
3. The maximum number of Awards every alternate year shall be thirty (30).
4. The Award shall carry a bilingual Sanad under the hand and the seal of the President of India in addition to a citation, a gold medallion and a miniature of the medallion in the form of a lapel pin.
5. The Sanad shall be printed in handmade paper of size 24” x 18”.
6. The medallion shall be circular in shape, 2.9 mm in thickness and of diameter 50.8 mm, made from 60 grams of 22 carat gold. The logo of Pravasi Bharatiya Divas (PBD) would be etched into the inner circle of 30 mm diameter. The front side of the medallion would have minakari work etched in the outer circle. The backside of the medallion would have the National emblem in the middle, with the name of the award as Pravasi Bharatiya Samman Award, engraved around it.
7. The medal shall be worn around the neck by a tricolour ribbon of one inch in width.
8. A miniature of the medallion, in rectangular shape with the PBD logo engraved in the middle, and with minakari work on both sides, which may be worn on certain occasions by recipients, shall be mounted on a gold plated silver lapel-pin weighing 10 gms.

II. Authorized persons or Organisations eligible for making nominations to Award

9. The following authorised persons or organisations shall be eligible to nominate eminent persons, organisations or institutions for the Award within the stipulated date and time and in such format as may be prescribed:

- a) Governors of States and Lt. Governors of Union Territories in India;
- b) Heads of Indian Diplomatic Missions/Heads of Indian Diplomatic Posts abroad. However, Heads of Indian Diplomatic Missions/Posts abroad may restrict the nominations to a maximum of 3 to 5 considering the size of Diaspora population in their country of accreditation.
- c) Chairman and Members of the Parliamentary Standing Committee dealing with the Ministry of External Affairs.
- d) The Executive Head of Prominent Overseas Indian Associations with nation-wide character as may be decided by the Ministry of External Affairs. However, the associations shall not nominate their own office bearers.
- e) Previous awardees of Pravasi Bharatiya Samman Award.

10. Ordinarily only proposals emanating from competent persons eligible to nominate shall be considered. However, the Jury-cum-Awards Committee can also make suo-motu nominations for persons from the fields mentioned in these regulations. However, the number of persons suo-moto nominated by the Jury-cum-Awards Committee shall not exceed six. In all such cases the recommendations of the Jury-cum-Awards Committee shall be final.

III. Screening Committee

11. A committee of officers constituted by the Ministry of External Affairs shall examine the nominations received with a view to ensure their completeness and draw up a short citation on each nominee to facilitate the work of the Jury-cum-Awards Committee.

IV. Jury-cum-Awards Committee

12. The nominations and citations shall be placed before the Jury-cum-Awards Committee comprising of:

- | | |
|--|--------------------|
| (a) Vice President of India | - Chairman |
| (b) Minister of External Affairs | - Vice-Chairman |
| (c) Principal Secretary to the Prime Minister | - Member |
| (d) Home Secretary | - Member |
| (e) Foreign Secretary | - Member |
| (f) Five members to be nominated by the Prime Minister | - |
| (g) Secretary or Additional Secretary dealing with Overseas Indian Affairs matters in The Ministry of External Affairs | - Member Secretary |

13. The recommendation of the Jury-cum-Awards Committee shall be submitted to the Prime Minister and President for approval.

14. The Awards shall not be given posthumously except in very rare cases where the person had died within a year preceding the announcement of the Awards.

V. Conferring of the Awards

15. The Awards shall be presented at a formal ceremony to be organised by the Ministry of External Affairs, as far as possible, at the Pravasi Bharatiya Divas on 9th January every alternate year.

16. The Awards shall be presented either by the President, Vice-President or Prime Minister, depending upon the availability of these dignitaries.

17. The names of the persons, upon whom the Award is conferred, shall be published in the Gazette of India prior to the day of presentation of the Awards.

18. With the institution of Pravasi Bharatiya Samman Awards, Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin shall continue to be considered for Padma Awards and Padma Awardees shall be eligible for Pravasi Bharatiya Samman Award.

19. The President may cancel and annul an Award in the event of any adverse information on the awardees coming to light subsequently.

VANI RAO, Jt. Secy. (OIA-II)